संसद के समक्ष अभिभाषण — 25 फरवरी 2005

लोक सभा	-	चौदहवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री भैरों सिंह शेखावत
भारत के प्रधानमंत्री	-	डॉ. मनमोहन सिंह
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री सोमनाथ चटर्जी

माननीय सदस्यगण,

नव वर्ष में संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। आप सबको मेरा अभिनंदन। नए साल की शुरुआत मिली-जुली भावनाओं के साथ हुई है। एक ओर, ऐसे अनेक कारण थे जो इस वर्ष के लिए हमारे अंदर आशा और उत्साह जगाते तो, दूसरी ओर, समूचा राष्ट्र सुनामी त्रासदी से ग्रस्त रहा। 26 दिसम्बर, 2004 को सुमात्रा के निकट महासागर के तल में आए एक बड़े भूकंप से उत्पन्न हुई एक सुनामी लहर ने अंडमान व निकोबार द्वीपसमूहों तथा आंध्र प्रदेश, केरल, पांडिचेरी* और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया। हमारे हृदय उनके लिए आहत हुए, जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस हत्यारी लहर के साथ जाते देखा, जो सागर से उठकर आई और हजारों लोगों के जीवन और जीविका को समाप्त कर गई। समस्त राष्ट्र उन सभी लोगों के शोक में भागीदार है जिनके जीवन और जीविका को इस आपदा ने नष्ट कर दिया।

तब भी, माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि वक्त पड़ने पर पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आने में हमारी जनता की तत्काल प्रतिक्रिया इस अंधकार की घड़ी में रोशनी की किरण के समान रही। इस तथ्य के अलावा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अभूतपूर्व योगदान दिया गया, लाखों भारतीयों और विदेशी मित्रों ने अपने-अपने तरीके से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, राहत पहुंचाई तथा प्रभावित लोगों के पुनर्वास कार्य को आसान बनाने के लिए योगदान दिया।

*अब पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है।

राज्य और स्थानीय सरकारों, सशस्त्र सेनाओं और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किए गए बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों की मैं पूरे देश की ओर से सराहना करता हूं। हमने अपनी जिन्दगी में सुनामी का प्रकोप अपने इलाके में नहीं देखा था। ऐसी स्थिति में सुनामी ने हमें सकते में डाल दिया। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र अंडमान व निकोबार द्वीपसमूहों के दूर-दराज इलाकों में स्थित होने के कारण स्थिति और भी जटिल हो गई। तब भी हमारी प्रतिक्रिया तीव्र रही। भारतीय नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक और केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों ने न केवल हमारे लोगों वरन् श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया के प्रभावित लोगों को भी शीघ्र राहत पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाई।

मेरी सरकार ने बिल्कुल सही निर्णय लिया कि तत्काल बचाव व राहत कार्य के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। इस कार्य को स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों ने बड़े अच्छे ढंग से संपन्न किया और अपेक्षित संसाधन राज्य व केन्द्र सरकारों के पास उपलब्ध थे। भारत उन सभी का धन्यवाद करता है जिन्होंने सहानुभति दिखाई और उदारतापूर्वक मदद करने की पेशकश की। तटीय क्षेत्रों की ध्वस्त अर्थव्यवस्थाओं तथा पारिस्थितिकी तंत्रों में पुनर्निर्माण व पुनर्स्थापना के लिए हम बाहरी सहयोग और परामर्श का स्वागत करते हैं। समुद्री अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाकर और तटीय पारिस्थितिकी को सुरक्षित करके हम इस त्रासदी को विकास के एक अवसर में परिवर्तित कर सकते हैं।

यह अत्यावश्यक है कि प्रतिक्रियात्मक संवेदना की तीव्रता तथा राहत और पुनर्वास चरण के कार्यों की गति को पुनर्निर्माण चरण तक बनाए रखा जाए। मैं आशा करता हूं कि हम पुनर्निर्माण के अपने प्रयासों को आपदा शमन के प्रभावी, मानवोचित तथा प्रगतिशील जन कार्यकलाप के विश्वव्यापी नमूने के रूप में प्रदर्शित कर पाएंगे।

सरकार शीघ्र ही एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाएगी। संसद में जल्दी ही आपदा प्रबंधन पर एक केन्द्रीय विधान लाया जाएगा। मैं सिफारिश करूंगा कि इस प्राधिकरण के कार्यकलापों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ठोस घटक निहित हो। हमें प्राकृतिक आपदाओं और अपने तटीय क्षेत्रों की पारिस्थितिकी को होने वाले खतरों से निबटने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में दीर्घकालिक उपाय विकसित करने होंगे। जम्मू व कश्मीर में भारी हिमपात के परिणामस्वरूप हाल ही के हिम-स्खलनों जैसी विपत्तियों से हुए जान-माल के अत्यधिक नुकसान के मद्देनजर इस प्रकार के प्राधिकरण की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। राष्ट्र, जम्मू व कश्मीर के लोगों की दु:ख की इस घड़ी में उनके साथ है।

सुनामी त्रासदी के प्रति हमारे देश की जनता की उदार प्रतिक्रिया ने एक बार फिर यह दर्शा दिया है कि हमारे राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण में आमूल-चूल बदलाव आया है। हममें से जो लोग व्यक्तिगत हित साधन की सामाजिक प्रवृत्ति तथा

बहिष्कार की राजनीति की राजनैतिक प्रवृत्ति के बारे में चिंतित रहे हैं। उन्हें सुनामी के बाद वास्तविक परहितवाद और सम्मिलन की भावना, जिसने राष्ट्र की मनोदशा को चरितार्थ किया, से संतोष मिला होगा।

मेरी सरकार, एक समवेत समाज, हितचिन्तक राज्य व्यवस्था तथा साझी अर्थव्यवस्था के प्रति वचनबद्ध है। यही राष्ट्रीय साझा कार्यक्रम का सार है जिसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के घटकों ने अपनाया है तथा जिसका वाम और अन्य समान विचारधारा वाले दलों ने समर्थन किया है। राजनैतिक मुख्यधारा में निहित बहुलवाद, सर्वसमावेश, पंथनिरपेक्षता तथा समता एवं सामाजिक न्याय पर आधारित आर्थिक वृद्धि की ओर वापसी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का राष्ट्र के प्रति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत की जनता ने हमारे राष्ट्रत्व के इन सारगर्भित मूल्यों के प्रति बार-बार अपने समर्पण की अभिपुष्टि की है।

मेरी सरकार, जनता को आर्थिक विकास तथा सामाजिक प्रगति की ओर अपनी ऊर्जा को पुनः संकेन्द्रित करने के लिए उत्साहित करने में सक्षम रही है। इसमें आश्चर्य नहीं है कि इस समय देश में आशावाद की भावना व्याप्त है और हम उन्नत आर्थिक निष्पादन, साम्प्रदायिक सद्भावना तथा राजनीतिक स्थायित्व वाले वर्ष की आशा कर सकते हैं। सभी मुख्य आर्थिक संकेत बेहतर हो रहे हैं तथा निवेशकों ने हमारी योग्यता में अपना विश्वास पुनः जताया है। मेरा विश्वास है कि परोपकारिता के साथ-साथ आशावाद के इस वातावरण का उपयोग हमारे समवेत लोकतंत्र की नींव को सुदृढ़ करने के लिए अवश्य किया जाना चाहिए।

माननीय सदस्यगण, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने एक वर्ष की तीन तिमाहियों की अवधि के दौरान सत्तासीन रहते हुए, राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पहले ही पर्याप्त समय और ऊर्जा लगाई है। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कमजोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के प्रति वचनबद्धता पर आधारित, सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिरता का एक वातावरण सृजित किया गया है। सरकार ने समता तथा सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बनाए रखा है। इसने साम्प्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित किया है और अल्पसंख्यकों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए आशा की भावना सृजित की है। मेरी सरकार पूरे देश में विभिन्न असंतुष्ट समूहों, विशेषतः उत्तर-पूर्वी राज्यों में, और जनजातीय समुदायों के बीच अपनत्व की भावना उत्पन्न करने में भी समर्थ रही है। ऐतिहासिक कांगला किले को मणिपुर की जनता को समर्पित करना न केवल मणिपुरी लोगों के इतिहास में गौरवशाली घड़ी थी बल्कि यह हमारे समाज के सभी घटकों के प्रति मेरी सरकार की इस वचनबद्धता की भी प्रतीक थी कि उन्हें मान-मर्यादा और आत्मसम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। इसी संदेश के साथ प्रधानमंत्री ने कश्मीर

घाटी में रह रहे लोगों और जम्मू में प्रवासी कश्मीरी पंडितों से सहृदयता व्यक्त करने के लिए जम्मू व कश्मीर राज्य की यात्रा की।

मेरी सरकार ने धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए एक आयोग गठित किया है। यह आयोग इन वंचित वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करेगा और उनके लिए शैक्षिक, रोजगार और आर्थिक अवसर बढ़ाने के लिए उपाय सुझाएगा। हम भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति पर एक श्वेत-पत्र भी तैयार करेंगे। आगे चलकर, सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम को नया रूप देगी ताकि विशिष्ट कार्यक्रमों का समावेश किया जा सके।

इस देश में अनेक क्षेत्रों में आदिवासी असुरक्षा का जीवन बिता रहे हैं क्योंकि उनके संपदा अधिकारों का हल नहीं निकाला गया है। यह आवश्यक है कि उन क्षेत्रों में, जहां वे कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, सुनिश्चित संपत्ति और भूमि अधिकार की उनकी आवश्यकता को समझा जाए। यह विडम्बना की बात है कि उन जनजातीय लोगों, जो कई पीढ़ियों से 'वन ग्रामों' में निवास कर रहे हैं तथा इन जमीनों पर कृषि कर रहे हैं, के अधिकारों को उचित मान्यता नहीं दी गई है। सरकार उनकी समस्याओं की ओर ध्यान दे रही है और हम जनजातीय लोगों के भूमि अधिकारों के मामले को निपटाने का प्रयास करेंगे। इसका परिणाम जनजातीय लोगों और वन संरक्षण के लक्ष्य, दोनों के लिए लाभदायक होगा।

मेरी सरकार मानती है कि यह सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है कि समाज के वंचित वर्गों का सम्यक् ध्यान रखा जाए। हम उनके शैक्षिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए उपाय करने के प्रति वचनबद्ध हैं। साथ ही, हमें उनके मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए भी कार्रवाई करनी चाहिए तथा उन्हें सदियों पुराने पूर्वाग्रहों से भी मुक्त करना चाहिए। सरकार सिर पर मैला ढोने के अपमानजनक कार्य पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी कार्रवाई करेगी तथा राज्यों को इसे लागू करने के लिए अगस्त, 2005 तक का समय दिया जाएगा। मेरी सरकार शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के उत्थान और सशक्तीकरण के लिए भी वचनबद्ध है।

यह अत्यंत आवश्यक है कि हमारे द्वारा शुरू की गई विकास प्रक्रियाओं का लाभ हमारे समाज के वंचित वर्गों को मिले। सरकार ने निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के तौर-तरीकों का पता लगाने के लिए उद्योग जगत से विचार-विमर्श करने हेतु एक मंत्री-समूह का गठन किया है। सरकार में आरक्षण के सभी उपबंधों को संहिताबद्ध करते हुए सरकार ने संसद में आरक्षण विधेयक पेश किया है। इसके अतिरिक्त, दलितों के कल्याण से

संबंधित सभी मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए दलित कार्य संबंधी एक मंत्री-समिति बनाई गई है।

माननीय सदस्यगण, कीमतों को स्थिर रखने की राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में उल्लिखित महत्वपूर्ण वचनबद्धता को सरकार ने पूरा किया है। खराब मानसून के प्रभाव के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण गत वर्ष के मध्य में मुद्रास्फीति की दर बढ़ गई थी। तथापि, तेल मूल्य के निरन्तर दबाव के बावजूद आर्थिक नीतियों और प्रशासनिक हस्तक्षेप के सम्मिलित विवेकपूर्ण प्रयासों से मुद्रास्फीति दर को कम करने में मदद मिली है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर अगस्त, 2004 में 8 प्रतिशत से कुछ ऊपर तक बढ़ने के बाद नीचे आकर 5 प्रतिशत हो गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा आंकी गई मुद्रास्फीति की दर कम हुई है और थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में काफी कम है। मेरी सरकार, मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण रखने के लिए वचनबद्ध है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा गरीब प्रभावित होते हैं। मुद्रास्फीति की दर को कम करने में सरकार की सफलता, सरकार द्वारा पिछले नौ महीनों के किए गए अनेक गरीबोन्मुख कार्यकलापों में सबसे महत्वपूर्ण रही है। सरकार कीमतों को स्थिर रखने और गरीबों की वास्तविक आय को संरक्षित रखने के अपने संकल्प पर दृढ़ रहेगी।

मुद्रास्फीति नियंत्रण एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करता है जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश और व्यावसायिक गतिविधि को बल मिले। सभी वृहत आर्थिक सूचक बेहतर हो रहे हैं। 2003-04 में हुई रिकार्ड वृद्धि जो अधिकांशतः पूर्ववर्ती वर्ष की अल्प वृद्धि में हुए सुधार से हुई, के अलावा 2004-05 में कम मानसून और तेल की ऊंची कीमतों के बावजूद अर्थव्यवस्था पुनः लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई है। निवेश गतिविधि के पुनर्जीवित होने और पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होने से 2004-05 में औद्योगिक उत्पादन में 8.9 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र की आय में 8.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। कम मानसून के कारण कृषि पैदावार में 1.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के बावजूद, खाद्य कीमतें नियंत्रण में रही हैं।

विदेश व्यापार तीव्र गति से बढ़ रहा है जिसमें अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2005 की अवधि में अमेरिकी डॉलर के हिसाब से निर्यात में 25.6 प्रतिशत की तथा आयात में 34.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। घरेलू तथा विदेशी, दोनों प्रकार के निवेश में वृद्धि हो रही है जो हमारी अर्थव्यवस्था में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। नीतिगत तथा प्रचालनात्मक अवरोधों को हटाकर निवेश-गतिविधि को और तीव्रता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने एक निवेश आयोग का गठन किया है। विदेशी मुद्रा भंडार रिकार्ड स्तर पर बना हुआ है जबकि निवेश गतिविधि के पुनरुत्थान और इसके परिणामस्वरूप, आयात मांग में हुई वृद्धि ने संचय दर को स्थिर कर दिया है। समग्र रूप से, सभी वृहत आर्थिक सूचक मजबूत और सकारात्मक हैं और अर्थव्यवस्था तथा

मण्डियों में ऊंचाई का रुख है। मेरी सरकार ऐसी नीतियों का अनुसरण करेगी जिससे यह उछाल बरकरार रहे और विकास की गति तेज हो तथा उच्चस्तरीय राजकोषीय और वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए, कुशलता और निष्पक्षता के मार्ग पर हम आगे बढ़ते रहें।

माननीय सदस्यगण, कृषि, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, अवसंरचना, शहरी नवीकरण और जल के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम की मुख्य वचनबद्धताएं हैं।

मेरी सरकार 'ग्रामीण भारत को नई पहल' देने के लिए वचनबद्ध है। इस 'नई पहल' में अन्य बातों के अलावा कृषि में घटते निवेश के रुख को पलटना; किसानों के लिए ऋण प्रवाह को बढ़ाना; सिंचाई और बंजर भूमि विकास में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना; कृषि अनुसंधान और विस्तार के लिए निधियां बढ़ाना; कृषि पैदावार के लिए 'एकल मण्डी' बनाना; ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में निवेश; ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कों को बढ़ावा; वस्तुपरक वायदा बाजारों की स्थापना; और खेती एवं ग्रामीण व्यवसाय में जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना शामिल हैं।

कृषि के लिए ऋण प्रवाह में तीव्र वृद्धि करना गत वर्ष मेरी सरकार द्वारा सर्वप्रथम उठाए गए कदमों में एक था। पूरा देश उस विपत्ति से अत्यन्त व्यथित था जिसने देश के कुछ भागों में कुछ किसानों को हताश होने व आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। मेरी सरकार ने प्रभावित परिवारों के दु:ख का निवारण करने के लिए अनेक उपाय किए और किसानों को आसानी से ऋण मुहैया कराने के लिए अनेक पहलें कीं। आगामी तीन वर्षों में कृषि ऋण के प्रवाह को दो गुना करने और किसानों को ऋण संबंधी राहत मुहैया कराने के लिए जून, 2004 में एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई। इस वर्ष के लिए 1,05,000 करोड़ रु. के कृषि ऋण प्रवाह के लक्ष्य की तुलना में जनवरी, 2005 के अंत तक 99,240 करोड़ रु. उपलब्ध कराए जा चुके हैं जो कि लक्ष्य का लगभग 95 प्रतिशत बैठता है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बाजार की अनिश्चितताओं से संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने फार्म और फार्म आय बीमा उपलब्ध कराने के लिए अनेक उपाय किए हैं। फार्म आय बीमा योजना, जो रबी फसलों के लिए कार्यान्वित की गई थी, उसे खरीफ की फसलों के लिए भी लागू कर दिया गया है। मौसम विज्ञान की पूर्वानुमान प्रणाली का आधुनिकीकरण, मौसम के बारे में अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाकर हमारे कृषि उत्पादन को बढ़ाने में भी योगदान करेगा।

बागवानी, प्राथमिकता से ध्यान दिए जाने के लिए चुने गए क्षेत्रों में से एक है जिसके लिए एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है। इस पहल में हमारे ग्रामीण परिदृश्य तथा कृषि उत्पादों के मामले में हमारी निर्यात स्थिति को भी

बदल डालने की क्षमता है। इसकी ब्यौरेवार रूपरेखा वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में पेश करेंगे।

राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में जल उपलब्धता तथा इसके इस्तेमाल संबंधी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। जल एक राष्ट्रीय संसाधन है और हमें अपने देश के जल संसाधनों, अपनी आवश्यकताओं, अपनी नीतियों और जल के इस्तेमाल के अपने तरीकों पर एक समग्र दृष्टिकोण बनाना होगा। हमें दुष्प्राप्य जल संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मैं आपसे और अपने सभी राजनेताओं से यह अनुरोध करता हूं कि वे हमारे जल संसाधनों के प्रबंधन की चुनौतियों को राष्ट्रीय तथा सर्वांगीण दृष्टिकोण से देखें।

जल संरक्षण के लिए हमें सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। लोगों ने इस क्षेत्र में अग्रणी होने की अपनी क्षमता को दर्शाया है। मेरी सरकार की योजना है कि जन आंदोलन द्वारा बड़े स्तर पर जल संरक्षण तथा जल एकत्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए। शुष्क भूमि कृषि तथा कृत्रिम पुनर्भरण के वर्तमान कार्यक्रम ऐसे मिशन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे जबकि मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित निवेश जल संरक्षण के नागरिक तथा जन आधारित आंदोलन के लिए निधि प्रदान करेगा। जलागम प्रबंधन के वर्तमान कार्यक्रम इन प्रयासों के पूरक होंगे जो स्वयं भी जलागम पर आधारित होंगे। इससे विशेषकर हमारे शुष्क तथा अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सरकार का कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सहित सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने की एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। कृषि क्षेत्र, विशेष तौर पर ग्रामीण अवसंरचना में विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी भी महत्वपूर्ण है।

ब्रह्मपुत्र घाटी तथा गंगा के मैदानी इलाकों में आने वाली मौसमी बाढ़ की समस्या सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रही है। दीर्घकालिक उपाय सुझाने तथा ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के पानी को काम में लाने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है जो उत्तर-पूर्व घाटी प्राधिकरण की स्थापना की व्यवहार्यता की जांच करेगी। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के लिए वित्तीय आबंटन को बढ़ा दिया गया है। केन्द्रीय बजट 2004-05 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के किसानों के लिए जल एकत्रीकरण योजनाओं की सहायता हेतु कदम उठाए गए हैं। सिंचाई तथा पेयजल, दोनों प्रयोजनों हेतु, जल प्रबंधन के सभी पक्षों पर तत्काल ध्यान दिया जाएगा। यह सरकार पड़ोसी देशों के साथ जल संबंधी सभी मामलों पर सहयोग की भावना से कार्रवाई भी कर रही है।

कृषि अनुसंधान और विस्तार मेरी सरकार के लिए प्राथमिकता का एक अन्य क्षेत्र होगा। कृषि अनुसंधान के लिए वित्तपोषण बढ़ाया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों और स्नातकों की संख्या बढ़ाने के लिए उत्कृष्टता के नए केन्द्रों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि कृषि का और आगे आधुनिकीकरण किया जा सके। 'ग्रामीण भारत को नई पहल' देने के लिए ग्रामीण विकास संस्थाओं को भी पुनर्जीवित करना अपेक्षित है। बुनियादी लोकतंत्र की मेरी सरकार की वचनबद्धता नया पंचायती राज मंत्रालय बनाने में प्रदर्शित हुई है। मुख्यमंत्रियों से परामर्श करके मंत्रालय ने पंचायती राज के 18 पहलुओं को शामिल करते हुए 150 सूत्री कार्य योजना तैयार की है। सरकार विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय रूप से शामिल करेगी। देश में सहकारी क्षेत्र में कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण जरिया रहा है। सरकार सहकारी संस्थाओं में एक व्यावसायिक प्रबंधन पद्धति लागू करके और उनके लोकतांत्रिक स्वरूप को पुनः स्थापित करके उन्हें सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध है। नाबार्ड द्वारा सहकारी ऋण ढांचे के पुनर्जीवीकरण के लिए एक योजना तैयार की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख-सुविधाओं और ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ग्रामीण अवसंरचना संबंधी राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है। ग्रामीण विद्युत वितरण आधार-तंत्र और ग्रामीण विद्युत अवसंरचना सृजित करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण नीति तैयार की गई है। मेरी सरकार वर्ष 2009 तक देश के सभी गांवों में बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य के प्रति वचनबद्ध है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अवसंरचनात्मक असमानता को समाप्त करना है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका और निवेश के अवसर उपलब्ध कराये जाने हैं। इससे नगरों की ओर दुःखद पलायन जिससे शहरी अवसंरचना पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है, निरुत्साहित होगा। हमें ग्रामीण सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और सार्वजनिक सेवाओं में सुनियोजित ढंग से सुधार करना चाहिए।

मेरी सरकार ने अनेक अन्य उपाय किये हैं जिनसे कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को अत्यधिक लाभ होगा। इनमें ग्रामीण अवसंरचना को सुदृढ़ करने और उसका आधुनिकीकरण करने तथा ग्रामीण स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार लाने पर लक्षित कार्यक्रम और नीतियां शामिल हैं। कुल मिलाकर ये सभी उपाय हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को प्रमुख विकासात्मक बल प्रदान करते हैं। यह कथन कि भारत गांवों में बसता है एक घिसी पिटी बात हो सकती है लेकिन यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें हमेशा याद रखना है। जब तक ग्रामीण भारत में रहने वाले हमारे नागरिक, खास तौर पर किसान और कमजोर वर्ग आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त नहीं होते, भारत उदय नहीं हो सकता। मेरी सरकार भारत उदय चाहती है लेकिन यह उदय सभी के लिए हो।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के लिए विशेष ध्यान दिया जाने वाला दूसरा क्षेत्र रोजगार का है। यह हमारे देश के लिए प्राथमिकता है जहां जनसंख्या में युवाओं का हिस्सा बढ़ रहा है और आने वाले कुछ दशकों तक बढ़ता ही रहेगा। निवेश बढ़ाने और कृषि, विनिर्माण, अवसंरचना तथा सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर बढ़ाने पर लक्षित नीतियां नि:सन्देह रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगी। विकास प्रक्रियाओं में जिनके पिछड़ जाने की संभावना है, उनका ध्यान रखने और एक सुरक्षा कवच सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से, देश के कुछ अधिक पिछड़े क्षेत्रों में, मेरी सरकार ने एक राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी विधेयक बनाया है। संसद के समक्ष प्रस्तुत यह विधेयक शुरुआती तौर पर देश के कुछ सबसे पिछड़े जिलों में प्रत्येक गरीब घर में कम से कम एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिनों के रोजगार के लिए विधिक गारंटी प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम का क्रमश: विस्तार किया जाएगा ताकि सभी ग्रामीण क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएं। इस बीच, सरकार ने 150 पिछड़े जिलों में 'काम के बदले अनाज' का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की वर्षगांठ पर आंध्र प्रदेश के एक पिछड़े जिले में प्रारंभ किया गया। 50 लाख और परिवारों को अंत्योदय कार्ड दिए जा चुके हैं। जिससे इनकी कुल संख्या 2 करोड़ तक पहुंच गयी है।

सदियों से हमारी सभ्यता ज्ञान पर आधारित रही है और तब भी हमारे देश में निरक्षरता की दर अस्वीकार्य रूप से उच्च है। आज हमारे सर्वोत्तम और सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति वैश्विक ज्ञान व्यवस्था में सबसे अग्रणी हैं, तब भी हमारे अनेक विद्यालय और महाविद्यालय उन सबकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असमर्थ हैं जो ज्ञान का प्रकाश पाना चाहते हैं। इसे बदला जाना चाहिए। भारत को एक नवीन ज्ञान क्रांति की आवश्यकता है, गांवों के प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर विश्व-स्तरीय अनुसंधान संस्थाओं तक, ज्ञान के पिरामिड के सभी स्तरों पर शिक्षा में निवेश की एक नई लहर की आवश्यकता है। मेरी सरकार शिक्षा की सुलभता और उत्कृष्टता, दोनों मुद्दों को प्राथमिकता देगी।

शिक्षा उपकर द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लिए संसाधनों को बढ़ाया गया है जिससे प्रारंभिक शिक्षा कोष का निर्माण होगा। इससे सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मध्याह्न आहार योजना और किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम का बेहतर वित्त-पोषण हो सकेगा। पहली बार, सर्व शिक्षा अभियान का एक राष्ट्रीय मिशन गठित किया गया है। एडूसेट, एक शैक्षिक उपग्रह के प्रक्षेपण और दूरदर्शन की डायरेक्ट-टू-होम टेलीविजन सुविधा की शुरुआत से साक्षरता के प्रसार में आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग हो सकेगा। मेरी सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास पर विशेष ध्यान दिया है। अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित उच्चतर अध्ययन संस्थाओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं हेतु एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय और मणिपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा रहा है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया को एक विशेष अनुदान प्रदान किया गया है। सरकार ने उत्तर-पूर्व के लिए एक भारतीय प्रबंधन संस्थान स्वीकृत किया है और कश्मीर विश्वविद्यालय में संकाय विकास हेतु सहायता करने पर सहमति दी है।

शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मेरी सरकार द्वारा उठाए गए ये कुछेक शुरुआती कदम हैं। काफी कुछ और किये जाने की आवश्यकता है और उसे किया जाएगा। हमें एक आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है जो पंथ निरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा दे तथा 21वीं शताब्दी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम, चिंतनशील, प्रतिबद्ध और योग्य नागरिक बनाए। हमें अपने समाज में अपने इर्द-गिर्द के संसार के बारे में अधिक जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए और एक वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे महान राष्ट्र का भविष्य हमारी शिक्षा व्यवस्था की गुणता और अंतर्वस्तु पर निर्भर है। सरकार ने भारत को 21वीं सदी में ज्ञान का पूरा फायदा देने के लिए एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर दी है। इस ज्ञान आयोग की पांच शाखाएं होंगी: जनसमुदाय के हित के लिए ज्ञान की सुलभता बढ़ाना, विश्वविद्यालयों में ज्ञान की अवधारणा का पोषण करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान का सृजन, हमारे व्यापार और उद्योग जगत में ज्ञान के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना और सरकार में सेवा-प्रदानगी को सुधारने में ज्ञान का उपयोग करना। मूलभूत विज्ञान तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। अनुसंधान और विकास, विशेषकर जैव-प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकियों में सार्वजनिक-निजी भागीदारियों को बढ़ावा देने तथा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों का वित्तपोषण बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

नीतिगत कार्रवाई के लिए और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र है–स्वास्थ्य देखभाल। सरकार की एक प्रमुख प्रतिबद्धता है–अगले पांच वर्षों के दौरान जनस्वास्थ्य संबंधी खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत की वर्तमान दर से 2 प्रतिशत की दर तक बढ़ाना, और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, गरीब लोगों के लिए बेहतर बनाना। मेरी सरकार पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करके एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत करने का प्रस्ताव करेगी जो जिला आधारित नियोजन तथा स्वास्थ्य देखभाल करने के प्रबंधन मॉडल पर आधारित होगा। स्वास्थ्य प्रबंधन का यह विकेन्द्रीकृत मॉडल पहली बार स्वास्थ्य समस्याओं के स्थानिक समाधानों को संभव बनाएगा और आशा है कि 'सबके लिए स्वास्थ्य' का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार शहरी अवसंरचना के विकास और हमारे कस्बों एवं शहरों को अधिक निवास योग्य बनाने पर भी विशेष ध्यान देगी। ऐसे देश के लिए जहां एक तिहाई से अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है, कस्बों और शहरों में मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच बनाने तथा विश्वस्तरीय अवसंरचना मुहैया कराने के कार्य पर ध्यान केन्द्रित करने का समय आ गया है। इससे हमारे शहर आर्थिक विकास को कारगर ढंग से आकर्षित कर सकेंगे। शहरी नवीकरण पर प्रस्तावित मिशन इस आवश्यकता को पूरा करेगा।

अवसंरचना मेरी सरकार के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। यदि अगले दशक के दौरान अर्थव्यवस्था में 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत की वृद्धि करने का सरकार का उद्देश्य पूरा करना है तो देश को अवसंरचना में वृहत निवेश की आवश्यकता होगी। विद्युत, सड़कों, रेलवे, पत्तनों और अंतर्देशीय जलमार्गों, नागरिक उड्डयन और गृह निर्माण में सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ाए जाने की तत्काल आवश्यकता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक अवसंरचना संबंधी समिति का गठन किया गया है। पूर्वी एशिया के अपने पड़ोसियों के समकक्ष पहुंचने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था को अगले दशक के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में कम से कम 150 बिलियन डॉलर के निवेश की जरूरत है।

अवसंरचना संबंधी इस समिति ने पहले ही एक नई नागरिक उड्डयन नीति के लिए रूपरेखा निर्धारित कर दी है जो उड्डयन सेवाओं में सुधार करे, घरेलू वायुसेवाओं को प्रोत्साहन दे, नागरिक उड्डयन अवसंरचना को आधुनिक बनाए और उपभोक्ताओं को चयन के और अधिक अवसर प्रदान करे। नागरिक उड्डयन नीति जो अतीत में पारदर्शिता के अभाव तथा तदर्थवाद के समावेश से ग्रस्त थी, में पारदर्शिता एवं प्रगामी नीति का समावेश किया गया है, जिससे इस क्षेत्र में नवीन निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को और अधिक व्यावसायिक और दक्ष बनाने हेतु कदम उठाते हुए इसे अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क निर्माण की दर, विशेषकर स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिणी एवं पूर्व-पश्चिमी कॉरिडोरों में बढ़ा दी गई है। सरकार सभी अवसंरचना परियोजनाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में रेल और सड़क संयोजन को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मेरी सरकार इस प्रयोजन के लिए समुचित तंत्रों की स्थापना करने की प्रक्रिया में है। मुगल रोड जैसी ऐतिहासिक संरचनाओं के उन्नयन के साथ जम्मू और कश्मीर में सड़क एवं रेल विकास को उच्चतर प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

गत दशक के दौरान हमारी दूरसंचार की नीति की सफलता ने अवसंरचना के क्षेत्र में उदार नीति अपनाने के फायदों को दर्शा दिया है। ऐसी नीति का लाभार्थी,

अन्ततः उपभोक्ता ही होगा। मेरी सरकार की योजना है कि भारत के वर्तमान दूरसंचार घनत्व को 8.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 2008 तक 20 प्रतिशत से अधिक कर दिया जाए। हमारी प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों में ध्वनि तथा डाटा ट्रांसमिशन संयोजन प्रदान करने की होगी। हाल ही में घोषित ब्राडबैंड नीति से इंटरनेट संयोजन में और भी तेज गति से बढ़ोतरी होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों को क्रमशः ई-गवर्नेंस, ई-शिक्षा तथा ई-स्वास्थ्य के लाभ उठाने में मदद मिलेगी। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी की अगली पीढ़ी में छलांग लगाने में हम सक्षम हैं। अतः ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के मध्य डिजिटल विभाजन को अविलम्ब समाप्त किए जाने की आवश्यकता है।

मेरी सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय विद्युत नीति इस क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहित करेगी और साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगी कि अन्य उपभोक्ताओं सहित ग्रामीण उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो। 13,000 करोड़ रु. से अधिक की लागत, 4000 मेगावाट से अधिक की कुल क्षमता वाली 11 निजी विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय उपलब्धता सुगम करने में अंतर-संस्थागत दल को मिली सफलता इस क्षेत्र में भावी निवेश के लिए अच्छा शगुन है। मेरी सरकार द्वारा की गई पहलों से निजी प्रोत्साहकों तथा वित्तीय संस्थानों का विश्वास काफी बढ़ा है और उन्होंने व्यवहार्य निजी विद्युत परियोजनाओं को निधि प्रदान करने की अपनी वचनबद्धता दोहराई है। नवम्बर, 2004 में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा जारी नई इक्विटी के साथ-साथ इसमें सरकारी इक्विटी के विक्रय के प्रति जनता की प्रतिक्रिया इस क्षेत्र में नीतिगत पहलों के लिए अच्छा संकेत है।

अपनी आर्थिक विकास दर में प्रत्याशित बढ़ोत्तरी को बरकरार रखने के लिए हमें ऊर्जा की सुलभता सुनिश्चित करनी होगी। अतः ऊर्जा सुरक्षा मुख्य राष्ट्रीय प्राथमिकता है। मेरी सरकार ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आर्थिक तथा कूटनीतिक, दोनों तरह के कई कदम उठाए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्वदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय, दोनों प्रकार की प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। ऊर्जा सुरक्षा, त्वरित वृद्धि दर तथा सतत आर्थिक विकास के राष्ट्रीय उद्देश्यों के संवर्धन के लिए यह आवश्यक है कि तेल के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी अनन्य क्षमता संबंधी क्षेत्रों में अपनी ताकत को बढ़ाएं ताकि वे उनके लिए परिकल्पित मुख्य भूमिका को पूर्णरूप से निभा सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए, ऊर्जा में सहस्फोट पर एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। मेरी सरकार ने 4 जनवरी, 2005 को नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति का पांचवां दौर शुरू किया है जिसमें कंपनियों को तेल और गैस के अन्वेषण के लिए निवेश हेतु आकर्षक अवसर प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, हमारी दीर्घावधिक ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का दोहन करने की अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कार्यनीतियां विकसित करने को मेरी सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।

माननीय सदस्यगण, यद्यपि, हमारी जनता से संबंधित इन सातों क्षेत्रों पर सरकार प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देगी तथापि अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों, विशेषकर हमारे औद्योगिक उत्पादन और सेवा क्षेत्रों के आधुनिकीकरण तथा विकास पर भी जोर दिया जाएगा। हाल के वर्षों में राष्ट्रीय आय में औद्योगिक उत्पादन का घटना अंश चिन्ता का विषय है। अपने औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए मेरी सरकार ने एक राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादन प्रतिस्पर्धा परिषद् की स्थापना की है जो इसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति एक ऐसे संसार में बनाए रखने के लिए अत्यावश्यक है जहां व्यापारिक द्वार खोले जा रहे हैं। मेरी सरकार देश में औद्योगिक विकास को तेज करने को उच्च प्राथमिकता देगी। वस्त्र तथा परिधान, आटोमोबाइल तथा उनके कलपुर्जों, चमड़ा तथा फार्मास्यूटिकल सहित विनिर्माण उद्योगों का एक विशाल क्षेत्र है जिसमें विद्यमान असीम अवसरों का दोहन किया जाएगा। इस पर मेरी सरकार विशेष ध्यान देगी।

मल्टी-फाइबर एग्रीमेंट की समाप्ति से कपड़ा क्षेत्र में बाह्य व्यापार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं जिन्हें भारतीय उद्योग को काम में लाना होगा। सरकार का इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी व उनमें सुधार करेगी। कपड़ा क्षेत्र में भारत को पारम्परिक तथा आधुनिक, दोनों स्तरों पर काफी वरीयता प्राप्त है और इसे विश्व बाजार में अपने पूर्व-प्रतिष्ठित पद को पुनः प्राप्त करना है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पुनर्गठन से बहु-उपेक्षित हथकरघा क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। मेरी सरकार हथकरघों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करेगी तथा उनकी डिजाइन और विपणन क्षमताओं को बढ़ाएगी। कुछ समय से बुनकरों की दुर्दशा जनता का ध्यान आकृष्ट कर रही है परन्तु इस संबंध में पर्याप्त रूप से कुछ नहीं किया गया है। मेरी सरकार अगले दो वर्षों तक चलने वाले एक समयबद्ध कार्यक्रम के जरिए बुनकरों की स्थिति सुधारने पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रस्ताव करती है। इस कार्यक्रम का नाम 'बुनकरों के लिए दो वर्ष' होगा। इस कार्यक्रम के तहत, पारम्परिक करघों को बदला जाएगा, मूल्य संवर्धन के लिए डिजाइन क्षमता को सुधारा जाएगा तथा बुनकरों को नयी प्रौद्योगिकी, ऋण व बाजार उपलब्ध कराए जाएंगे। व्यावसायिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे भारतीय बुनकरों को उन प्रमुख बाजारों से जोड़ें जहां भारतीय हथकरघा अभी भी उच्चस्तरीय स्थान बनाए हुए हैं। विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने में सबसे बड़ी चुनौती ब्रान्ड इंडिया, 'मेड इन इंडिया' लेबल का संवर्धन करना है।

हमारी 90 प्रतिशत से अधिक श्रमिक शक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में है। मेरी सरकार उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त संस्थागत और विनियामक तंत्र स्थापित करेगी। बेहतर सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रयास करते हुए, हमें प्रोत्साहनों तथा विनियमन के विवेकपूर्ण मिश्रण के तहत रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता

की भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। असंगठित, अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों की समस्याओं का पता लगाने तथा इस क्षेत्र के लघु और अति लघु उद्यमों एवं स्व-रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को तकनीकी, विपणन और ऋण संबंधी सहायता मुहैया कराने के बारे में सिफारिशें देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग नियुक्त किया गया है। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर, हम यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कार्यक्रम बनाएंगे कि अनौपचारिक क्षेत्र न केवल आर्थिक कार्यनिष्पादन में बल्कि रोजगार अवसरों के प्रदाता के रूप में भी फले-फूले। सार्वजनिक क्षेत्र की सफल कंपनियों को पूर्ण प्रबंधकीय एवं वाणिज्यिक स्वायत्तता देने और साथ ही लगातार घाटे में चल रही कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुनर्निर्माण बोर्ड बनाया गया है।

माननीय सदस्यगण, आर्थिक विकास और कल्याण तथा हमारी जनता का सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। तथापि, कुछेक ऐसी ताकतें कार्यरत हैं जो इन उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधक हैं। मेरी सरकार शांति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को होने वाले इस प्रकार के सभी खतरों से निपटने के लिए कृतसंकल्प है। मेरी सरकार हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की आंतरिक और बाह्य चुनौतियों के प्रति पूरी तरह सचेत है तथा आतंकवाद के खतरे या मनमुटाव फैलाने के प्रयासों तथा कानून व व्यवस्था में गड़बड़ी से निपटने के लिए आवश्यक कोई भी कदम उठाने में हिचकिचाएगी नहीं। 2004 में देश में समग्र आंतरिक सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण में रही। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देने वाले तीन प्रमुख क्षेत्रों के रूप में जम्मू तथा कश्मीर में सीमा पार से आंतकवाद, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्रोह तथा कुछ राज्यों में नक्सलवादी हिंसा को चिह्नित किया गया है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमें बहुपक्षीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कानून तथा व्यवस्था लागू करने संबंधी तंत्र को अधिक कारगर बनाना पड़ेगा। साथ ही, हमें उन आधारभूत कारणों से भी निपटना चाहिए जो शांति और सुरक्षा के साथ जीने की इच्छा रखने वाली हमारी जनता के किसी वर्ग में अलगाव की भावना पैदा करते हैं। सभी स्तरों पर प्रशासन को समान तथा जन-केन्द्रित विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मेरी सरकार विकास आयाम तथा मानवाधिकारों संबंधी चिन्ताओं पर समान ध्यान देगी।

इन खतरों से निपटने में मेरी सरकार का यह विचार था कि आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 का दुरुपयोग किया जाता रहा था तथा वास्तव में इस अधिनियम की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि विद्यमान कानून आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त थे। अतः सरकार ने पोटा को निरस्त कर दिया तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में संशोधन किया ताकि आतंकवाद के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए एक विधिक व्यवस्था लाई जा सके। इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विरोधी तत्वों से निपटने में हमारा संकल्प किसी

भी प्रकार से कमजोर हुआ हो। सरकार हमारे सुरक्षा बलों के कल्याण तथा उनके साजो-सामान के आधुनिकीकरण में निवेश करेगी।

मेरी सरकार लोगों की वास्तविक चिन्ताओं पर समान ध्यान देने तथा उनकी शिकायतों का निपटारा करने के लिए कृतसंकल्प है। यह सामाजिक तथा आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने के लिए कदम उठाएगी जिससे कि जम्मू व कश्मीर के युवाओं को मान-मर्यादा, आत्मसम्मान और खुशहाली का जीवन जीने के पर्याप्त अवसर मिल सकें। शांति तथा सामान्य स्थिति बहाल करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार ने किसी भी समूह से बातचीत करने की अपनी इच्छा बार-बार व्यक्त की है बशर्ते कि वे हिंसा का रास्ता त्याग दें। सीमापार से आतंकवाद हमारे पश्चिम तथा पूर्व दोनों भागों में संभावित खतरा बना हुआ है हालांकि हाल के महीनों में जम्मू तथा कश्मीर में आतंकवादी हमलों की संख्या में कमी आई है। सीमा के उस पार आतंकवाद की अवसंरचना को ध्वस्त नहीं किया गया है। सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर कांटेदार तार लगाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है ताकि सीमा पार से घुसपैठ, तस्करी तथा अन्य भारत विरोधी गतिविधियों को रोका जा सके।

उत्तर-पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में भूमिगत समूहों की गतिविधियां तथा जातीय तनाव सतत् रूप से वातावरण को दूषित कर रहे हैं। हम यहां सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कृतसंकल्प हैं ताकि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लोग सामान्य जीवन जी सकें तथा आर्थिक रूप से खुशहाल बन सकें। मेरी सरकार हिंसा का त्याग करने वाले किसी भी समूह से सार्थक बातचीत करने की इच्छुक है। इसी भावना से सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों के विभिन्न समूहों से बातचीत करने में लगी है। हमारी सरकार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विकास की गति में तेजी लाने की ओर पर्याप्त ध्यान देगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकार के विकास में उनकी वैध आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाए।

जम्मू व कश्मीर और उत्तर-पूर्वी राज्यों के आर्थिक विकास पर मेरी सरकार विशेष ध्यान देगी। सरकार ने जम्मू व कश्मीर राज्य की पुनर्संरचना और इसके विकास के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना के अवसंरचनात्मक घटक राज्य के रुग्ण पर्यटन उद्योग में जान डालेंगे, नई क्षमता सृजित करेंगे तथा रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। प्रस्तावित परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए उन्नत शासन, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, शांति, सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, राजकोषीय जिम्मेदारी तथा जनोपयोगी वस्तुओं के किफायती मूल्य निर्धारण की आवश्यकता होगी।

उत्तर-पूर्वी राज्यों के आर्थिक विकास को दिशा देने के लिए उत्तर-पूर्वी परिषद को नया रूप दिया जा रहा है तथा उसका विस्तार किया जा रहा है। मेरी सरकार सशस्त्र सेना विशेष अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की जांच करने के लिए एक

स्वतंत्र समूह गठित करने के अपने निर्णय पर मणिपुर की जनता की अनुकूल प्रतिक्रिया से प्रसन्न है। यह समूह सिफारिश करेगा कि विद्यमान अधिनियम में संशोधन किया जाए अथवा उसके स्थान पर एक और अधिक मानवीय कानून लाया जाए ताकि हमारे जनसमुदाय के मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। इस क्षेत्र को आशा के नए एजेंडा की आवश्यकता है। सरकार के द्वार हमेशा उन सभी समूहों के लिए खुले हैं जो इस क्षेत्र के आर्थिक उत्थान तथा सामाजिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के प्रति कृतसंकल्प हैं। ऐसा कोई भी मुद्दा, कोई भी शिकायत नहीं है जो इतनी जटिल हो कि उसे धैर्यपूर्ण, रचनात्मक बातचीत के माध्यम से हल न किया जा सके। आगे बढ़ने का एकमात्र यही रास्ता है। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली इतनी खुली तथा इतनी लचीली है कि उसमें सभी प्रकार की विचारधाराओं का समावेश हो जाता है। अंत में कहा जा सकता है कि भारत में सत्ता का प्रवाह मतपेटी से निकलता है, बन्दूक की नाली से कदापि नहीं।

मेरी सरकार साम्प्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए भी कृतसंकल्प है। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का पुनर्गठन किया गया है। साम्प्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए एक आदर्श व्यापक कानून बनाया जा रहा है। मेरी सरकार साम्प्रदायिकता फैलाने, कानून व व्यवस्था में गड़बड़ करने तथा किसी भी नागरिक को शांति और सुरक्षा से जीवनयापन न करने देने के लिए किसी भी प्रयास से दृढ़ता से निपटेगी। नक्सलवाद की समस्या देश के कई हिस्सों में शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही है। प्रत्येक राज्य सरकार को कमजोर वर्गों की वास्तविक मांगों और राष्ट्रविरोधी तत्वों के घृणित मनसूबों में अंतर समझते हुए इस खतरे से निपटने के उपाय निकालने होंगे। मेरी सरकार सभी कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है और लोगों के कल्याण को शांतिपूर्वक बढ़ावा देने की इच्छुक सभी राजनीतिक ताकतों के साथ बातचीत को प्रोत्साहन देगी। हालांकि, वह लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई किसी भी सरकार की संवैधानिक सत्ता को चुनौती देने वाले तथा शस्त्रों का प्रयोग करने वाले किसी भी समूह के साथ कारगर ढंग से निपटेगी।

माननीय सदस्यगण, राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल, हमारी सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण हमारी सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए निधियों के आबंटन में वृद्धि की गई है। थलसेना, नौसेना और वायुसेना के आधुनिकीकरण की परियोजनाएं चल रही हैं। विभिन्न उपकरण और शस्त्र प्रणालियों की स्थापना के लिए अनेक नयी परियोजनाएं प्रगति पर हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में हल्के लड़ाकू विमान 'तेजस' के तीन प्रोटोटाइपों का उड़ान परीक्षण चल रहा है और सुपरसोनिक उड़ानों सहित 307 परीक्षण उड़ानें पूरी कर ली गई हैं। एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली–'संयुक्त'

का सेना द्वारा सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर लिया गया है और उसे अपना लिया गया है। नौसेना के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली–'संग्रह' को अपना लिया गया है और उत्पादन के आदेश दे दिए गए हैं। तीसरी पीढ़ी के टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र 'नाग' और जमीन से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र 'आकाश' के सफल उड़ान परीक्षण किए जा चुके हैं। रूस के साथ एक संयुक्त उद्यम कार्यक्रम-सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल 'ब्रहमोस' का जहाजरोधी अस्त्र के रूप में परीक्षण किया जा चुका है और यह सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। प्रमुख युद्ध टैंक 'अर्जुन' को सफलतापूर्वक सेना में शामिल कर लिया गया है।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम में की गई घोषणा के अनुसार रक्षा मंत्रालय में अलग से भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग बनाया गया है। यह विभाग भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करेगा। विश्व के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय मूल के व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय बनाया गया है।

सरकार का सुधार करने और उसे अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और कुशल बनाने के लिए मेरी सरकार कृतसंकल्प है। प्रशासन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के व्यापक सुधार के भाग के रूप में लोक सेवकों के लिए अच्छे शासन हेतु एक आदर्श संहिता तैयार की जा रही है। यह सरकार लोक प्रशासन प्रणाली का पुनर्गठन करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक प्रशासनिक सुधार आयोग स्थापित करेगी। सूचना का अधिकार अधिनियम बनने से नागरिक सशक्त होंगे और प्राधिकारी अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बाध्य होंगे। शासन की गुणवत्ता को बढ़ाने के सरकारी प्रयासों के एक भाग के रूप में अनेक नए उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी स्तरों पर सरकारी कर्मचारी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में उचित रूप से प्रशिक्षित हों और नागरिकों के पास शिकायत निवारण के प्रभावी तंत्र उपलबध हों।

माननीय सदस्यगण, विदेशों के साथ हमारे सबंधों के निर्वहन में और हमारे आर्थिक हितों को साधने के लिए मेरी सरकार की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों पर ही केन्द्रित है। सरकार ने विकल्पों की अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा अपनी चिंताओं के प्रति सचेत रहते हुए कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वातावरण अधिक सुरक्षित बना है। हमने अपनी स्थिति और विचार स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किए हैं ताकि हमारे विदेशी भागीदार हमारे महत्व के विषयों पर हमारी स्थिति के तर्क को बेहतर ढंग से समझ सकें।

मेरी सरकार ने अपने पड़ोसियों से रिश्ते और सार्क को सुदृढ़ बनाने पर प्रमुखता से ध्यान दिया है। मेरी सरकार की यह हार्दिक इच्छा है कि अपने सभी पड़ोसियों के साथ कार्य करके समृद्धि और शांति का एक साझा पड़ोस बनाया जाए। सार्क की आगामी शिखर बैठक में इसमें निहित क्षमता को साकार करने के महत्व की हम पुनः पुष्टि करते हैं। अपने पड़ोसियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण इस दृढ़ विश्वास पर आधारित है कि इस क्षेत्र में लोग बढ़े हुए सहयोग, दृश्यमान अवरोधों और रुकावटों को पार करने की इच्छा रखते हैं। हमारा प्रयास होगा कि पारम्परिक मित्रता को प्रगाढ़ और व्यापक बनाया जाए और नई भागीदारियों की शुरुआत की जाए। भूटान के साथ हम अपने विशेष रूप से घनिष्ठ संबंधों को मूल्यवान समझते हैं और हम उन्हें और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बांग्लादेश के साथ हमारे विशेष और गर्मजोशी भरे संबंध चले आ रहे हैं। भारत सुनामी के प्रकोप से प्रभावित श्रीलंका और मालदीव, दोनों को राहत और सहयोग तीव्रता से पहुंचाने वाले देशों में से एक था। वह भी तब, जब हम खुद अपने तटवर्ती क्षेत्रों में सुनामी के प्रभावों से जुझ रहे थे और अपनी क्षति का अनुमान लगा रहे थे। इससे इन संबंधों का हमारे लिए महत्व एवं अच्छे पड़ोसी संबंधों के प्रति हमारी वचनबद्धता परिलक्षित होती है। श्रीलंका के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी करार हमारे आर्थिक सहयोग को और गहन बनाएगा। राष्ट्रपति करजई का हाल का दौरा अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण प्रयासों में हमारी भागीदारी को और सुदृढ़ बनाएगा।

शांति, स्थायित्व और सम्पन्नता वाला पड़ोस बनाने के अपने प्रयास में पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान के साथ एक गंभीर वार्ता में हम संलग्न हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए कई पहलें की गई हैं। निकट भविष्य में आपसी सहयोग और विश्वास बढ़ाने के तरीकों सहित विभिन्न प्रकार के उपायों की हमारी पेशकश, जो आगे दीर्घावधिक आर्थिक सहयोग का रूप ले सकती है, हमारे जनसमुदायों की दिली इच्छा के अनुरूप है। तथापि, सामान्यीकरण की प्रक्रिया पूर्णरूपेण पाकिस्तान के इस आश्वासन पर निर्भर करती है कि वह आतंकवादी गतिविधियों को अपना सहयोग बंद कर देगा।

भारत-पाकिस्तान वार्ता प्रक्रिया को हाल में पर्याप्त रूप से आगे बढ़ाया गया। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा शुरू करने के लिए एक समझौता किया गया। ननकाना साहिब जैसे धार्मिक स्थानों सहित लाहौर और अमृतसर के बीच बस सेवाएं शुरू करने के लिए सिद्धांततः सहमति भी बनाई गई। पाकिस्तान खोकरापार-मुनाबाओ रेल संपर्क को शीघ्र बहाल करने पर कार्य करने के लिए भी राजी हुआ। इन उपायों से लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेंगे और इनसे वर्तमान वार्ता प्रक्रिया को भी सुस्पष्ट समर्थन मिला है।

नेपाल के साथ हमारा संबंध उच्च प्राथमिकता पर रहेगा और हमारा दृष्टिकोण यह है कि नेपाल के सामने आज उपस्थित समस्याएं केवल एक संवैधानिक राजशाही तथा बहुदलीय लोकतंत्र द्वारा राष्ट्रीय आम सहमति के आधार पर सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करके हल की जा सकती हैं। महामहिम नेपाल नरेश द्वारा 1 फरवरी, 2005 को बहुदलीय सरकार को भंग करने, आपात स्थिति की घोषणा करने और राजनेताओं को गिरफ्तार करने पर भारत ने गंभीर चिंता व्यक्त की है।

हमारे प्रमुख आर्थिक साझेदारों के साथ अपने रिश्तों को हम अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। भारत-अमरीकी संबंध इस कारण निरंतर आगे बढ़ रहे हैं कि वे दोनों देशों के लोकतंत्र एवं सामरिक साझेदार होने के कारण उनके मध्य उत्पन्न सतत् आकर्षण पर आधारित हैं। हम इस संबंध में इस एकजुटता को लगातार बढ़ाते रहेंगे और अपने द्विपक्षीय आर्थिक तालमेल तथा दोनों देशों के लोगों के मध्य जीवन्त सम्पर्कों को सुदृढ़ बनाएंगे। यूरोपीय संघ और इसके 25 सदस्य राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध निरन्तर बढ़ते रहे हैं और अपनी ओर से हम हाल में प्रारंभ इस सामरिक भागीदारी को अधिक गति प्रदान करने के लिए कार्य करेंगे जिसमें इस वर्ष नई दिल्ली में होने वाली अगली भारत-यूरोपीय संघ शिखर वार्ता भी शामिल है। रूस के साथ समय की कसौटी पर खरी उतरी सामरिक साझेदारी को हम मूल्यवान समझते हैं, जो रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति के हालिया दौरे से सुदृढ़ हुई है। हमारे सहयोग की सघनता उस प्राथमिकता को प्रदर्शित करती है जो हमने इस महत्वपूर्ण रिश्ते को प्रगाढ़ और घनिष्ठ बनाने में की है। मेरी सरकार ने चीन के साथ अपनी वार्ता और संलग्नता को गति प्रदान करने का प्रयास किया है और वहां के प्रधानमंत्री के दौरे को हम इस प्रत्याशा से देखते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मील के पत्थर के समान सिद्ध होगा।

'लुक ईस्ट पालिसी' ने जापान, आसियान के सदस्य राष्ट्रों और कोरिया गणराज्य के साथ हमारे संबंधों को काफी सुदृढ़ बनाया है। हम आशा करते हैं कि जापान के प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्पूर्ण घटना होगी। आसियान के साथ हमारे संबंध नई दिशाओं में बढ़े हैं। और इसकी पूर्ण क्षमता का दोहन करने की हम आशा करते हैं। नवम्बर, 2004 में आसियान शिखर सम्मेलन में भारत की प्रभावी उपस्थिति तथा जुलाई, 2004 में पहले बिम्सटैक शिखर सम्मेलन की सफलता ने हमारे पूर्वी पड़ोसियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में हमारी मदद की है।

हमारी ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में हमारी विदेश नीति और घरेलू आवश्यकताओं का जुड़ना महत्वपूर्ण है। मेरी सरकार विकास संबंधी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा की हमारी आवश्यकता के साथ हमारी राजनयिक गतिविधियों का तालमेल बनाने को पूरा महत्व देगी। पश्चिम एशिया, खाड़ी और निकटवर्ती क्षेत्रों में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे नागरिक तथा हमारे स्थापित एवं पारम्परिक हित आपसी

व्यवहार में प्रकट होते रहेंगे। फिलिस्तीनी लोगों के सामने आ रहीं समस्याओं के न्यायोचित एवं स्थायी समाधान ढूंढने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के प्रयासों के प्रति हम समर्पित हैं ताकि वे अपना एक स्वयं का राज्य प्राप्त कर सकें। साथ ही इजराइल के साथ अपने मित्रतापूर्ण संबंधों को हम अत्यधिक महत्व देते हैं तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने व उनमें विभिन्नता लाने की आशा करते हैं।

बेंदुंग सम्मेलन की आने वाली 50वीं सालगिरह, एक ऐतिहासिक पहल को याद करने का महत्वपूर्ण अवसर है जो ऐसे समय में की गई जब उपनिवेशवाद को समाप्त करने की प्रक्रिया जोर पकड़ने लगी थी और जिसने गुट-निरपेक्ष आंदोलन के मूल्यों की पहले ही कल्पना कर ली थी। इसी भावना से अफ्रीका तथा लेटिन अमरीका के देशों के साथ अपने रिश्तों के दायरे को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए अपने व्यापक प्रयास को हम जारी रखेंगे। हम इस वर्ष नवम्बर में होने वाले राष्ट्रमंडल के शिखर-सम्मेलन में उसके मूल्यों के प्रति अपनी वचनबद्धता को भी दृढ़तापूर्वक दोहराएंगे।

इस वर्ष हम दूसरे विश्व युद्ध के अंत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि वे समस्याएं जिनका आज संसार सामना कर रहा है, निश्चित रूप से विश्वव्यापी हैं और ऐसी समस्याएं हैं जिनकी कोई सीमाएं नहीं हैं, जिनके लिए सामूहिक नीतियों की आवश्यकता है। वैश्विक चिन्ताओं से संबंधित सभी वार्ताओं में हम सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाते रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र में अपनी स्थिति और क्षमता के अनुसार एक बड़ी भूमिका निभाने की भारत की युक्तियुक्त आकांक्षा की अधिकाधिक मान्यता प्राप्त हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आवश्यक नवीकरण के एक भाग के रूप में संयुक्त राष्ट्र को पुनर्गठित करने की प्रक्रिया को हम महत्वपूर्ण समझते हैं और हमारी मंशा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता की अपनी आकांक्षा को बलपूर्वक व्यक्त करने की है।

माननीय सदस्यगण, यह वर्ष कई सालगिरहों का वर्ष है। इस वर्ष हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह की प्लैटिनम जयन्ती मना रहे हैं। मुझे आशा है कि सम्पूर्ण राष्ट्र आदर्शवाद तथा आत्म-बलिदान की उस भावना का स्मरण करेगा जो हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के चरमोत्कर्ष की विशेषता रही है। अपनी धरती के नमक मात्र से ही गांधी जी ने उपनिवेशी शासन को अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अग्राह्य बना दिया। इसने सम्पूर्ण विश्व का ध्यान आकृष्ट किया।

नमक सत्याग्रह को याद करते हुए प्रत्येक भारतीय को स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की अपनी चाह में फिर से गर्व महसूस करना चाहिए तथा हमारे पूर्वजों, जिन्होंने उपनिवेशी शासन से हमें आजादी दिलाई, के आत्मविश्वास से सीख लेनी चाहिए।

हमने इन 75 वर्षों में बड़ा लम्बा रास्ता तय किया है। आज भारत स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता, बहुलता और सभी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध स्वतंत्र गणराज्य के रूप में सौहार्दपूर्ण राष्ट्रों के बीच सीना ताने खड़ा है।

यह वर्ष 1905 में हुए बंगाल विभाजन के मामले में ब्रिटिश राज के षडयंत्र के विरुद्ध महान राष्ट्रीय क्रांति का शताब्दी वर्ष भी है। मेरी सरकार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर तथा राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य नेताओं के योगदान को नमन करती है जिन्होंने बंगाल को विभाजित करने के लार्ड कर्जन के घृणित प्रयासों का विरोध किया। इस विभाजन के विरुद्ध लोगों को इकट्ठा करने, साम्प्रदायिक सद्भावना को सुदृढ़ करने तथा विरोध व्यक्त करने में राष्ट्रीय नेताओं तथा गुरुदेव टैगोर के नेतृत्व तथा कटिबद्धता के प्रति हम आभारी हैं। अतिविशाल जनांदोलन के कारण ब्रिटिश राज को अपना फैसला वापिस लेना पड़ा था।

हाल ही में, देश ने भारतीय डाक की 150वीं वर्षगांठ मनाई। इण्डिया पोस्ट के सम्मान स्वरूप सरकार ने हाल में डॉट-इन डोमेन को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए पहल की। मैं आशा करता हूं कि अपनी खुद की वेबसाइट रखने वाले आदरणीय सदस्यगण अब डॉट-इन डोमेन का प्रयोग करेंगे। इस साल विख्यात लेखक प्रेमचन्द की 125वीं जयंती है। उन्होंने न केवल हिन्दी व उर्दू गद्य को नई दिशा दी जिसने उन्हें भारतीय जनमानस की कई पीढ़ियों का प्रिय बना दिया, वरन् उनके गद्य ने भारत के आम आदमी के दुख-दर्द को हमारे चिंतन के केन्द्र में ला बिठाया। मुझे आशा है कि हमारे विस्तृत गणराज्य के हरेक विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी की प्रेमचन्द से नए सिरे से पहचान होगी।

वर्ष 2005 में अल्बर्ट आइंस्टीन की 50वीं पुण्यतिथि है और उनके जीवन के सर्वाधिक स्मरणीय वर्ष की 100वीं वर्षगांठ अर्थात्, वह वर्ष जब एक 26 वर्षीय पेटेन्ट क्लर्क ने अपनी चार में से तीन महानतम कृतियों, जिनमें सापेक्षता का सिद्धांत सम्मिलित है, को प्रकाशित किया। मेरी सरकार हमारे विद्यालयों व महाविद्यालयों में मूलभूत विज्ञानों पर विशेष ध्यान देकर, हमारी विज्ञान संबंधी संस्थाओं को आधुनिक बनाकर और उनका पुनर्निर्माण करके, और सबसे महत्वपूर्ण, वैज्ञानिक सोच के प्रसार के लिए अपने को पुनः समर्पित करके आइंस्टीन की सालगिरह मनाएगी।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यगण मेरे साथ उन युवकों एवं युवतियों की ऊर्जा और उत्साह की सराहना करेंगे जो विभिन्न खेलों में अधिकाधिक हिस्सा ले रहे हैं और अपने देश के लिए और विदेश में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। मेरा विचार है कि राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के आयोजन तथा ओलम्पिक्स 2018 के आयोजन का दावा प्रस्तुत करने की हमारी तैयारियों के लिए यह एक शुभ संकेत है।

इस सरकार ने 'ग्रामीण भारत को नई पहल' का आश्वासन दिया था। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में मैंने ग्रामीण विकास के लिए एक दृष्टिकोण का उल्लेख किया था। इस दृष्टिकोण में गरीबी का संपूर्ण उन्मूलन, शिक्षा के लिए उत्कृष्ट और आसान अवसर और सभी नागरिकों के लिए कौशल विकास, सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल और सफाई व्यवस्था तथा सभी भारतीयों के लिए उच्चतम आय स्तरों के सृजन की संकल्पना है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि, औद्योगिक उत्पादन तथा सेवा-क्षेत्र न केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करेंगे बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में शिखर स्थान भी प्राप्त करेंगे। मेरी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख-सुविधाएं मुहैया कराकर ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगी। भौतिक संयोजन, इलेक्ट्रॉनिक संयोजन और ज्ञान संयोजन से आर्थिक संयोजन प्राप्त होगा।

ग्रामीण भारत को विकास के सारथी के रूप में देखा जाना चाहिए और इसकी विकास संभाव्यता को खोलने के लिए ग्रामीण अवसंरचना के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है। मेरी सरकार ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण हेतु 'भारत निर्माण' नामक एक वृहत योजना लागू करना चाहती है। सिंचाई, सड़कें, गृह निर्माण, जलापूर्ति, विद्युतीकरण और दूरसंचार संयोजन के क्षेत्रों में ग्रामीण अवसंरचना बनाने के लिए यह एक समयबद्ध कार्य योजना होगी। सरकार इन उद्देश्यों में प्रत्येक के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करेगी। सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि ग्रामीण भारत अपनी अंतर्निहित क्षमता को साकार करे। भारत निर्माण वह मंच होगा जिस पर मेरी सरकार ग्रामीण भारत के लिए अपनी नई पहल करेगी। इस कार्यक्रम की रूपरेखा केन्द्रीय वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में प्रस्तुत करेंगे।

माननीय सदस्यगण, आपके पास लंबित विधायी कार्य का भारी बोझ है। इस सत्र में केन्द्रीय बजट और अन्य विधायी कार्य पर चर्चा होगी। अनेक महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा के विभिन्न चरणों में हैं, जिन पर आपको विचार करना है। भारत की जनता इन महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक विधानों पर आपके विचारों और निर्णयों की आतुरता से प्रतीक्षा करती है। माननीय सदस्यो, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जनता ने आपमें जो आस्था और विश्वास व्यक्त किया है, आप इन विधेयकों पर समुचित रूप से विचार करने के लिए स्वयं को समर्पित करके उसका सम्मान करें। संसद के समय का हर क्षण कीमती है और प्रत्येक नागरिक और करदाता इसे काफी तरजीह देता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास जितना समय है आप उसका कारगर उपयोग करेंगे और नागरिकों की आशाओं व आकांक्षाओं को पूरा करेंगे।

मैं आपके कार्यों की सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।